# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
## पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 49 / 2012

| वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| कालुसिंह पुत्र श्री जवारसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी गांव हनुमान नगर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । | | 01. बलवन्तसिंह पुत्र श्री जवारसिंहजी के कायम मुकाम :–<br>01/01. गोहरा कंवर पत्नि स्व0 बलवन्तसिंह<br>01/02. जगदीशसिंह पुत्र स्व0 बलवन्तसिंह<br>01/03. नरपतसिंह पुत्र स्व0 बलवन्तसिंह<br>01/04. मदनसिंह पुत्र स्व0 बलवन्तसिंह<br>01/05. गोविन्दसिंह पुत्र स्व0 बलवन्तसिंह<br>01/06. विक्रमसिंह पुत्र स्व0 बलवन्तसिंह<br>जातियान राजपुरोहित, निवासीगण ग्राम हनुमान नगर, फिंच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।<br>01/07. हविया कंवर पुत्री स्व0 बलवन्तसिंह पत्नि श्री फतेहसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी ओलडा, तहसील सरदार समंद, जिला पाली ।<br>01/08. संतोष पुत्री स्व0 बलवन्तसिंह पत्नि श्री रामसिंहजी, जाति राजपुरोहित, निवासी भाण्डुकला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।<br>01/09. सुशीला कंवर पुत्री स्व0 बलवन्तसिंह, पत्नि श्री रामसिंहजी, जाति राजपुरोहित, निवासी बोराना, तहसील बाप, जिला जोधपुर, हाल निवासी ग्राम मथानियां, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर ।<br>02. भगवानसिंह पुत्र स्व0 जवारसिंह<br>03. माणकसिंह पुत्र स्व0 बिडदसिंह<br>04. बंशीसिंह पुत्र स्व0 बिडदसिंह<br>05. उरजनसिंह पुत्र स्व0 बिडदसिंह<br>06. सांवतसिंह पुत्र स्व0 बिड़दसिंह<br>07. बालुसिंह पुत्र स्व0 बिडदसिंह<br>जातियान राजपुरोहित, निवासी हनुमान नगर, फिंच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।<br>08. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी । |

**दावा वास्ते बंटवाड़ा अर्न्तगत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थिति:–

01. वादी की और से अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार, सिद्धार्थ परिहार, प्रेमकुमार देवड़ा ।
02. प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति ।

आदेश

दिनांक :– 9/4/2021

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

पत्रावली आज पेश हुई । प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी द्वारा एक वाद ग्राम हनुमान नगर, पटवार हल्का फिंच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर की कृषि भूमि खसरा संख्या 489 रकबा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 490 रकबा 106 बीघा 13 बिस्व बाबत् अर्न्तगत धारा 53, 188 राज. काश्त. अधिनियम का प्रस्तुत किया गया । वादी द्वारा उक्त दोनो खसरान की कृषि भूमियों में अपना 1/10 हिस्सा बाबत उक्त वाद प्रस्तुत किया गया । वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा अपना जवाबदावा भी प्रस्तुत किया गया। तनकियात कायम की गयी एवं वादी द्वारा अपनी साक्ष्य के रूप में स्वयं पेश हुआ । प्रतिवादीगण की तरफ से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी । दौराने वाद प्रतिवादी संख्या एक का निधन हो जाने से उनके कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा उसके साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण की तरफ से एक राजीनामा भी प्रस्तुत किया गया जो कि राजीनामा इस प्रकार से हैं:-

01. यह हैं कि उपरोक्त वादी द्वारा एक राजस्व वाद ग्राम हनुमान नगर, पटवार क्षेत्र फिंच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 489 रकबा 16 बिस्वा, व खसरा संख्या 490 रकबा 106 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरें दो कुल रकबा 107 बीघा 09 बिस्वा भूमि बाबत् वास्ते बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 53, 188 राज. काश्त. अधिनियम के तहत वाद दायर किया गया था ।

02. यह हैं कि प्रतिवादी संख्या एक हाल ही में दिनांक 24.02.2021 को फौत हो गये जिस पर समाज के मौजीज व्यक्तियों ने आपस में मिल बैठकर उक्त विवादग्रस्त खसरान की कृषि भूमियों बाबत् चल रहें विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य समझाईश की गयी जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य समझाईश के तहत यह तय किया गया कि खसरा संख्या 490 की जो दक्षिणी माठ हैं तथा पूर्व दिशा की तरफ जो कटाणी रास्ता हैं उक्त रास्ते से दक्षिणी माठ के सहारे सहारे 18 फुट का चौड़ा रास्ता संलग्न नजरी नक्शा छोड़ते हुए उससे आगे वादी को खसरा संख्या 490 में से अपने हिस्से की भूमि बाबत् रास्ते की भूमि मिलाकर कुल रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या दो से तीन व पांच से सात एवं प्रतिवादी संख्या एक के वारिसानों द्वारा देनी तय की गयी हैं । रास्ते की जो भूमि का जो भी रकबा हैं वह वादी के हिस्से की भूमि में से छोड़ा गया हैं यानि वादी के हिस्से में कुल रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा भूमि रखी गयी हैं । वादी को मौके पर दी गयी भूमि एवं रास्ते की भूमि का नजरी नक्शा इस राजीनामें के संलग्न पेश किया जा रहा हैं जो कि उक्त नजरी नक्शा इस राजीनामें का अभिन्न अंग समझा जावेगा ।

03. यह हैं कि पूर्व में खसरा संख्या 490 में से कुल रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु छोड़ी गयी थी जिसके वर्तमान में खसरा संख्या 490/1 हैं उक्त रास्ते का उपयोग वादी के लिये नहीं आता हैं इसलिये वादी को खसरा संख्या 490 में से ही कुल रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा भूमि वादी को अपने सेपरेट रास्ते की भूमि मिलाकर दी गयी हैं जिस बाबत् वादी एवं प्रतिवादीगण की पूर्ण सहमती हैं । खसरा संख्या 489 रकबा 16 बिस्वा गैर मुमकिन ढ़ाणी के खसरें की भूमि हैं जिसमें वादी को कोई हिस्सा नहीं दिया गया हैं जिसमें वादी की पूर्ण सहमती हैं । वादी के आने जाने हेतु 18 फुट चौड़े रास्ते की भूमि हैं वह सेपरेट वादी के लिये ही उपयोग हेतु रहेगा, प्रतिवादीगण उक्त रास्ते का उपयोग नहीं करेंगे ।

04. यह हैं कि प्रतिवादी संख्या चार लगभग सांठ वर्षो से लापता है जिस बारे में वादी एवं प्रतिवादीगण को उसके जीवित होने की कोई जानकारी नहीं हैं ऐसी स्थिति में शेष प्रतिवादीगण ही इस राजीनामें पर हस्ताक्षर कर रहें हैं तथा प्रतिवादी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

संख्या एक के फौत हो जाने पर उनके स्थान पर उनके वारिसानों द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं ।

05. यह हैं कि इस राजीनामें से वादी एवं प्रतिवादीगण पाबन्द रहेंगे तथा कोई भी पक्षकार इस राजीनामें की खिलाफवर्जी नहीं करेगा तथा न ही वादी को अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में कृषि कार्यो एवं अन्य उपयोग के लिये दखल अंदाजी करेंगे । इस राजीनामें में दर्शाये गये नजरी नक्शें अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर माफिक राजीनामा आदेश पारित कर वाद में अंतिम डिक्री जारी की जाकर वादी के हिस्से की भूमि का अलग बटटा नं0 दर्ज करते हुए राजस्व नक्शें में भी तरमीम की जाती हैं तो उसमें भी हमारी पूर्ण सहमती हैं ।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि माफिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किया जावें तथा राजीनामें में दर्शाये गये नजरी नक्शें अनुसार राजस्व नक्शें में भी तरमीम दर्ज की जावें ।

पत्रावली में अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । चूंकी वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त दोनो खसरान की भूमियों के सहखातेदार हैं तथा वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादी का हिस्सा अलग करके वादी के हिस्से की भूमि का राजीनामें के संलग्न नजरी नक्शें अनुसार अलग हिस्सा देने बाबत् सहमती भी दी जा चुकी हैं ऐसी स्थिति में आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तथा माफिक राजीनामा वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं ।

## आदेश

अतः प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता हैं तथा आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम हनुमान नगर, पटवार हल्का फिंच, तहसील लूणी, में स्थित खसरा संख्या 489 रकबा 16 बिस्वा में से वादी का नाम हटाया जाता हैं तथा खसरा संख्या 490 में राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शें अनुसार वादी के हिस्से की रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि के अलग बटट्रा नं0 दर्ज करते हुए राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शें अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम दर्ज की जावें, राजीनामा अनुसार वादी के हिस्से की भूमि अलग करते हुए राजस्व रेकर्ड एवं आवश्यक इन्द्राज किये जावें तथा राजस्व नक्शें में भी माफिक राजीनामा मय नजरी नक्शा तरमीम दर्ज की जावें। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मय नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग समझा जावेंगा । तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

निर्णय आज दिनांक 9/4/2021 को बसरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

(गोपाल परिहार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
आर.ए.एस.
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी